



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27444

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1788 वर्ष 2026

मोहम्मद साजिद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : उमा शंकर सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., चंद्र प्रकाश यादव

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उमा शंकर सिंह नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका वापस लेना चाहते हैं, जिसमें निम्नलिखित राहत मांगी गई है:-

"i) प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 को याचिकाकर्ता द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए प्रत्यावेदन/शिकायत दिनांक 28.10.2021 और 18.09.2025 (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 और 9) पर निर्णय लेने और चयन कार्यवाही के समय प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत किए गए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के संबंध में जांच पूरी करने और उसके खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश देते हुए अधिकार-पृच्छा की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

ii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।

iii) इस रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान करें।"

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. तदनुसार, रिट याचिका पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"